संख्या-6/2019-528/58-2019-60/2006

प्रेषक,

संदीप कौर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊः दिनांक 8 मार्च, 2019**

विषयः- **प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के उपघटक पर ड्राप मोर क्राप (माइक्रोइरीगेशन) के अन्तर्गत निर्माता फर्मों के पंजीकरण के संबंध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-712/एम0आई0-45/टी0सी0/2018-19, दिनांक 28.02.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के आपरेशनल गाइड लाइन-2017 के प्रस्तर-14 में वर्णित दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनान्तर्गत कृषि उत्पादन आयुक्त/अध्यक्ष अन्तर्विभागीय कार्यकारी दल एवं मुख्य सचिव/अध्यक्ष राज्य स्तरीय स्वीकृत समिति (एस0एल0एस0सी0) के प्रदत्त अनुमोदन दिनांक 26.02.2019 के आलोक में निम्नलिखित 22 माइक्रोइरीगेशन निर्माता फर्मों का पंजीकरण आगामी 5 वर्षों तक की अवधि के लिए निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्र0 सं0	निर्माता फर्म का नाम	पंजीकरण हेतु प्रस्तावित कम्पोनेन्ट
1	मे0 सोलेट इन्जीनियरिंग, जयपुर, राजस्थान।	इन लाइन ड्रिप पोर्टेबुल मिनी/माइक्रो/सेमी परमानेन्ट एवं लार्ज वाल्यूम (रेनगन) स्प्रिंकलर
2	मे0 गंगा पाइप फैक्ट्री, अलवर, राजस्थान।	पोर्टेबुल मिनी/माइक्रो/सेमी परमानेन्ट एवं लार्ज वाल्यूम (रेनगन) स्प्रिंकलर
3	मे0 मोहित पॉलीटेक प्रा0लि0, राजस्थान।	ड्रिप पोर्टेबुल मिनी/माइक्रो/सेमी परमानेन्ट एवं लार्ज वाल्यूम (रेनगन) स्प्रिंकलर
4	मे0 श्री जगजीत इण्डस्ट्रीज, भदोही, उत्तर प्रदेश।	पोर्टेबुल एवं लार्ज वाल्यूम (रेनगन) स्प्रिंकलर
5	मे0 स्ट्रॅबेरी पॉलीमर्स प्रा0लि0, गुजरात।	इनलाइन ड्रिप, पोर्टेबुल मिनी/माइक्रो/सेमी परमानेन्ट एवं लार्ज वाल्यूम स्प्रिंकलर
6	मे0 बालसन पॉली प्लास्ट प्रा0लि0, राजकोट, गुजरात।	ड्रिप पोर्टेबुल मिनी/माइक्रो/सेमी परमानेन्ट एवं लार्ज वाल्यूम (रेनगन) स्प्रिंकलर

http://shasanadesh.up.nic.in

7	मे0 बालाजी इरीगेशन प्रा0लि0, जयपुर, राजस्थान।	ड्रिप पोर्टेबुल मिनी/माइक्रो/सेमी परमानेन्ट एवं लार्ज वाल्यूम (रेनगन) स्प्रिंकलर
8	मे0 देव पॉलीमर्स, जयपुर, राजस्थान।	पोर्टेबुल एवं लार्ज वाल्यूम (रेनगन) स्प्रिंकलर
9	मे0 स्नेहलता इण्डस्ट्रीज सीकर, राजस्थान।	पोर्टेबुल मिनी/माइक्रो/सेमी परमानेन्ट एवं लार्ज वाल्यूम (रेनगन) स्प्रिंकलर
10	मे0 मीनेश इरीगेशन (इण्डिया) प्रा0लि0, भोपाल, मध्य प्रदेश।	ड्रिप पोर्टेबुल मिनी/माइक्रो/सेमी परमानेन्ट एवं लार्ज वाल्यूम (रेनगन) स्प्रिंकलर
11	मे0 कोणार्क इरीगेशन प्रा0लि0, अलीगढ़।	पोर्टेबुल मिनी/माइक्रो/सेमी परमानेन्ट एवं लार्ज वाल्यूम (रेनगन) स्प्रिंकलर
12	मे0 समय इरीगेशन प्रा0लि0, जयपुर राजस्थान।	ड्रिप पोर्टेबुल मिनी/माइक्रो/सेमी परमानेन्ट एवं लार्ज वाल्यूम (रेनगन) स्प्रिंकलर
13	मे0 श्री कृष्णा इण्डस्ट्रीज, जयपुर, राजस्थान।	पोर्टेबुल एवं लार्ज वाल्यूम (रेनगन) स्प्रिंकलर
14	मे0 श्री श्याम पाइप उद्योग, रेवाड़ी हरियाणा।	पोर्टेबुल एवं लार्ज वाल्यूम (रेनगन) स्प्रिंकलर
15	मे0 सूरज पाइप उद्योग, अलवर, राजस्थान।	पोर्टेबुल एवं लार्ज वाल्यूम (रेनगन) स्प्रिंकलर
16	मे0 के0के0 पाइप्स एण्ड प्रोडक्टस प्रा0लि0, इन्दौर।	ड्रिप पोर्टेबुल मिनी/माइक्रो/सेमी परमानेन्ट एवं लार्ज वाल्यूम (रेनगन)
17	मे0 हॉलैण्ड एग्रीटेक इण्डस्ट्रीज, भोपाल, म0प्र0।	ड्रिप पोर्टेबुल मिनी/माइक्रो/सेमी परमानेन्ट एवं लार्ज वाल्यूम (रेनगन) स्प्रिंकलर
18	मे0 अग्रवाल इरीगेशन, उज्जैन, मध्य प्रदेश।	ड्रिप एवं मिनी/माइक्रो/सेमी परमानेन्ट स्प्रिंकलर
19	मे0 सीतल सन्स, अम्बाला कैण्ट, हरियाणा।	पोर्टेबुल एवं लार्ज वाल्यूम (रेनगन) स्प्रिंकलर
20	मे0 आर0 सन्स इलेक्ट्रिकल्स प्रा0लि0, जयपुर, राजस्थान।	ऑन लाइन ड्रिप पोर्टेबुल मिनी/माइक्रो/सेमी परमानेन्ट एवं लार्ज वाल्यूम (रेनगन) स्प्रिंकलर
21	मे0 मेघदूत पॉली पाइप्स, जयपुर, राजस्थान।	ड्रिप पोर्टेबुल मिनी/माइक्रो/सेमी परमानेन्ट एवं लार्ज वाल्यूम (रेनगन) स्प्रिंकलर
22	मे0 सिगनेट इण्डस्ट्रीज लि0, इन्दौर, मध्य प्रदेश।	ड्रिप पोर्टेबुल मिनी/माइक्रो/सेमी परमानेन्ट एवं लार्ज वाल्यूम (रेनगन) स्प्रिंकलर

3- उक्त के अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनान्तर्गत शासनादेश सं0-2907/58-2017-60/2006, दिनांक 04.10.2017 द्वारा 28 निर्माता फर्मों का 05 वर्ष के लिए

http://shasanadesh.up.nic.in

किये गये पंजीकरण में से निम्नलिखित 2 निर्माता फर्मों को अतिरिक्त कम्पोनेन्ट इन लाइन ड्रिप एवं पोर्टेबुल स्प्रिंकलर सम्मिलित किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया जाता है :-

क्र0 सं0	पंजीकृत निर्माता फर्म का नाम	पूर्व में स्वीकृत कम्पोनेन्ट	सम्मिलित किये जाने वाले अतिरिक्त कम्पोनेन्ट
1	मे0 भगवती प्लास्टिक एण्ड पाइप इण्डस्ट्रीज, जयपुर, राजस्थान।	ऑन लाइन ड्रिप पोर्टेबल मिनी/माइक्रो/सेमी परमानेन्ट, लार्ज वाल्यूम (रेनगन) स्प्रिंकलर	इन लाइन ड्रिप
2	मे0 रिवुलिस इरीगेशन इण्डिया प्रा0लि0, बड़ोदरा, गुजराज।	ऑन लाइन/इन लाइन ड्रिप मिनी, माइक्रो, सेमी परमानेन्ट स्प्रिंकलर	पोर्टेबल स्प्रिंकलर

4- प्रस्तर-2 एवं 3 में उल्लिखित फर्मों का पंजीकरण एवं अतिरिक्त कम्पोनेन्ट 05 वर्षों के लिए सम्मिलित करने की सहमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि निर्माता फर्म मैनुफैक्चर्स हो, ट्रेडर्स नहीं।

5- निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण द्वारा यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि भारत सरकार द्वारा जारी माइक्रोइरीगेशन दिशा-निर्देश में उल्लिखित सभी पहलुओं को निर्माता फर्मे सुनिश्चित करती है। उक्त फर्मों से वांछित सभी औपचारिकताएं पूर्ण कराने का उत्तरदायित्व निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित जनपदीय अधिकारी का होगा।

6- उक्त फर्मों द्वारा कराये गये कार्यो की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये। इस फर्मों द्वारा सम्पादित कार्य एवं गुणवत्ता संतोषजनक न पाये जाने पर पंजीकरण किसी भी समय समाप्त कर दिया जायेगा।

7- उक्त फर्मों का पंजीकरण भारत सरकार द्वारा संचालित माइक्रोइरीगेशन योजना के नियमों/दिशा-निर्देशों के अधीन किया जायेगा।

8- यदि फर्मों के चयन में कोई प्रतिकूल तथ्य आते हैं तो उसके लिए निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उत्तरदायी होंगे।

कृपया उपरोक्तानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

(संदीप कौर)
विशेष सचिव।

संख्या:6/2019-528(1)/58-2019, तददिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
(4) कृषि अनुभाग-5, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इन्दुबाला कटियार)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in